I

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

पत्र संख्या–पं0नि0 30–09/2015 1953

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
दरभंगा

पटना, दिनांक– 26.4.24

विषयः– प्रखण्ड हनुमाननगर के ग्राम पंचायत गोढ़ैला के उप मुखिया के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक X।।–29 (1)/2024 दिनांक 09.04.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को **प्रखण्ड हनुमाननगर के ग्राम पंचायत गोढैला के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित के फलस्वरूप उक्त रिक्त पद पर निर्वाचन कराये जाने हेतु तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के **प्रखण्ड हनुमाननगर के ग्राम पंचायत गोढैला के उप मुखिया के रिक्त पद पर दिनांक 21.05.2024 को निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है।**

3. कृपया उप मुखिया के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया के निर्वाचन हेतु दिनांक **13.05.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **11.05.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति **पुलिस अधीक्षक,** दरभंगा को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–09/2015– 1953 पटना, दिनांक – 26.4.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा एवं पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

II

राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या- पं0नि0 30-09/2015 – 1954

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-
जिल निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
दरभंगा।

पटना, दिनांक – 26.4.24

विषय : ग्राम पंचायत रमौली, प्रखंड बेनीपुर के मुखिया का पदमुक्त होने की स्थिति में उप मुखिया को प्रभार देने हेतु मार्गदर्शन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 620 दिनांक 22.04.024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बेनीपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत रमौली के मुखिया का पद रिक्त होने एवं वर्तमान में लोक सभा निर्वाचन-2024 के अवसर पर आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के परिप्रेक्ष्य में उप मुखिया को ग्राम पंचायत मौली के मुखिया को प्रभार दिया जा सकता है अथवा नहीं के संबंध में मार्गदर्शन की माँग की गई है।

विदित है बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 17(2) में मुखिया का पद रिक्त रहने की स्थिति में उप मुखिया को प्रभार दिये जाने से संबंधित प्रावधान निहित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 17(2) के तहत् कार्रवाई की जाये।

विश्वासभाजन,
26/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

25.4.24

Sone Bhawan, Third Floor, Birchand Patel Marg, Patna - 800 001 Phone : 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax : 0612 - 2507847 E-mail : secbihar@gmailcom